

इसे वेबसाइट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 209]

भोपाल, शक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2011—चैत्र 11, शक 1933

---

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. 9636-वि. स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 18 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 1 अप्रैल, 2011 को पुरस्थापित हुआ है, जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

डॉ. ए. के. पथासी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् २०११

## मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) अधिनियम, २०११ है।

धारा ६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० (क्रमांक २४ सन् २०१०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ६ में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(२ क) अपील की सुनवाई के दौरान, यदि प्रथम अपील अधिकारी यह पाता है कि आवेदक द्वारा समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति करने के बावजूद पदाधिकारी द्वारा निश्चित की गई समय-सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई है, या यदि उसकी राय में पर्याप्त कारण समनुदेशित किए बिना आवेदन रद्द कर दिया गया है तो वह द्वितीय अपील प्राधिकारी को, पदाधिकारी पर धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने हेतु निर्देश कर सकेगा.”.

धारा ७ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात् :—

“(५) (क) यदि आवेदक उपधारा (१) या (२) के अधीन द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, से संतुष्ट नहीं है तो वह इस संबंध में धारा ८ के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

(ख) नामनिर्दिष्ट अधिकारी यथास्थिति, प्रथम अपील अधिकारी या पदाधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो पूर्व में अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए ५००० रुपये तक हो सकेगी तथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा:

परंतु नामनिर्दिष्ट अधिकारी, आदेश में वर्णित किए जाने वाले पर्याप्त तथा विशेष कारण से शास्ति अधिरोपित किए जाने के बजाय केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा।

(ग) इसके अतिरिक्त यदि नामनिर्दिष्ट अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि द्वितीय अपील प्राधिकारी ने अपर्याप्त शास्ति अधिरोपित की है या कार्रवाही लंबित रखी है या ऐसी रीति में कार्रवाही किया है जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन में सहायक नहीं है, तो वह सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो ५००० रुपये तक हो सकेगी तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा:

परंतु नामनिर्दिष्ट अधिकारी, आदेश में वर्णित किए जाने वाले पर्याप्त तथा विशेष कारण से शास्ति अधिरोपित किए जाने के बजाय केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा।”.

४. मूल अधिनियम की धारा ८ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ८क का  
अंतःस्थापन.

“८-क. धारा ७ की उपधारा (५) के खण्ड (ग) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यक्ति द्वितीय अपील प्राधिकारी उस आदेश की तारीख से ६० दिन की कालावधि के भीतर पुनर्विलोकन हेतु नामनिर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा। नामनिर्दिष्ट अधिकारी विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन का निराकरण करेगा:

नामनिर्दिष्ट  
अधिकारी के आदेश  
का पुनर्विलोकन.

फरंतु नामनिर्दिष्ट अधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त आवेदन पर्याप्त कारण से समय पर नहीं दिया जा सका था तो ऐसे आवेदन को ६० दिन की उक्त कालावधि के अवसान हो जाने के पश्चात् भी ग्राह्य कर सकेगा.”.

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० (क्रमांक २४ सन् २०१०) को राज्य की जनता को निश्चित समय-सीमा के भीतर सेवाओं को प्रदान करने के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया था। अब यह विनिश्चय किया गया है कि सेवा प्रदाय को अधिक प्रभावी बनाने तथा पदाधिकारी की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मूल अधिनियम में यथोचित संशोधन किए जाएं।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :  
तारीख २९ मार्च, २०११

बृजेन्द्र प्रताप सिंह  
भारसाधक सदस्य.

### प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड ४ द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन के निराकरण करने की प्रक्रिया सुनिश्चित किये जाने के संबंध में राज्य सरकार को विधायनी शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।

उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है।

डॉ. ए. के. एयासी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 215 ]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 2 अप्रैल 2011—चैत्र 12, शक 1933

---

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2011

क्र. 2166-137-इक्कीस-अ(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 18 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

**MADHYA PRADESH BILL**  
No. 18 OF 2011.

**THE MADHYA PRADESH LOK SEWAON KE PRADAN KI GUARANTEE  
(SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2011.**

**A Bill to amend the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows :—

**Short title.**

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

**Amendment of Section 6.**

2. In Section 6 of the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010 (No. 24 of 2010) (hereinafter referred to as the principal Act), after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely :—

“(2a) During the hearing of the appeal, if the first appeal officer finds that the service was not provided by the designated officer within the stipulated time limit despite the applicant having fulfilled all the requirements or if in his opinion the application has been rejected without assigning sufficient reasons, he may make a reference to the second appellate authority to impose a penalty on the designated officer under sub-section (1) of Section 7.”.

**Amendment of Section 7.**

3. In Section 7 of the principal Act, after sub-section (4), the following new sub-section shall be added, namely :—

“(5)(a) If the appellant is not satisfied with the penalty imposed, if any, by the Second Appellant Authority under sub-section (1) or (2), he may make an application in this regard to the Officer nominated by the State Government under Section 8.

(b) The nominated officer may, after giving an opportunity of being heard to the First Appeal Officer or the Designated Officer, as the case may be, impose a penalty which may extend to 5000 rupees including the penalty earlier, imposed if any, and recommend disciplinary action against the officer concerned :

Provided that the nominated officer may, for adequate and special reason to be mentioned in the order, inserted of imposing a penalty, recommend disciplinary action only.

(c) Further, if the nominated officer is satisfied that the Second Appellate Authority has imposed an inadequate penalty or has delayed proceedings or acted in a manner not conducive to the implementation of this Act, he may impose on him a penalty which may extend to 5000 rupees, after giving him an opportunity of being heard, and recommend disciplinary action against him :

Provided that the nominated officer may, for adequate and special reason to be mentioned in the order, instead of imposing a penalty, recommend disciplinary action only.

**Insertion of Section 8A.**

4. After Section 8 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

**Review of order of nominated officer.**

“8A. The Second Appellate Authority aggrieved by any order passed under clause (c) of sub-section (5) of Section 7, may make an application for review to the nominated officer within a period of 60 days from the date of that order. The nominated officer shall dispos of the application according to the prescribed procedure:

Provided that the nominated officer may entertain an application after the expiry of the said period of 60 days, if he is satisfied that the application could not be submitted in time for sufficient cause.”.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010 (No. 24 of 2010) was enacted to provide for the delivery of services to the people of the State within the stipulated time limit. Now it has been decided that to make the service delivery more effective and to ensure the responsibilities of the designated officer, first appeal officer and second appellate authority, suitable amendments be made in the principal Act.

2. Hence this Bill.

BHOPAL :

DATED, the 29th March, 2011.

BRIJENDRA PRATAP SINGH

*Member-in-charge.*